

प्रेषक,

दशरथ राम  
विशेष निदेशक, मानविक शिक्षा  
रोड मे.

अध्यक्ष  
केन्द्रीय मानविक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कामगुणिली सेटर,  
नई दिल्ली-110092

विषय : डी० ए० भी० पश्चिम रकूल, दयानंद नगर, महेशखट, खगड़िया को अनापति  
प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाराष्ट्र,

उपरोक्त विषय को सबवा मे निर्देशानुसार गृहित करना है कि राजारामी अवैभूतिक संख्या-238 दिनांक-04.04.2006 के आलोक मे जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त जीव प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा डी० ए० भी० पश्चिम रकूल, दयानंद नगर, महेशखट, खगड़िया को री० री० ए० ई० ई० वै० दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक मे समीक्षोपचान्त रिप्टि निम्नवत है :-

१. यह विद्यालय दयानंद ऐस्लो वैदिक कॉलेज इस्ट एवं प्रबंधन समिति, नई दिल्ली के अधीन संचालित है। इस इस्ट मे किसी एक स्थापित/वरिवार का प्रमुख नहीं है। शोसाइटी के प्रत्येक सहस्र का बोर्ड नेम उपर्योग नहीं करने का दावा किया गया है।
२. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निवासित सोसाइटी/न्यास के केन्द्राइजी वाला किसी विद्यालय के बोर्ड नेम उपर्योग नहीं करने का दावा किया गया है।
३. विद्यालय को 2.46 एकड़ भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को भव्यता उपलब्ध पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय मानविक शिक्षा बोर्ड से स्थान निरीक्षण कर सुनिश्चित करना दीया गया कि विद्यालय की आधारपूर्त संरचना एवं सुरक्षाएँ बोर्ड के मानक के अनुकूल हैं।
४. विद्यालय मे शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों मे विद्यालय निकालकर गठित प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है। विद्यालय मे 23 शिक्षक हैं। री० री० ए० ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना दीया गया कि शिक्षकों ने शोधता प्रशिक्षण राष्ट्रीय आयोगक शिक्षा परिषद के मानकानुसार के अनुकूल हैं।
५. विद्यालय मे हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
६. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, गार्मिंग लेखा आवृत्ति तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवार सार्वजनिक करने का ओरालान दिया गया है। विद्यालय अपने आपासन के अनुरूप कार्रवाई कर इसे री० री० ए० ई० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
७. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिकृतवा संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 मे उल्लेखित अपेक्षित गति स्वीकार है।

**अपेक्षित शर्तों के अनुसार—**

- (i) विद्यालय में अपता का 25 प्रतिशत नामांकन पहलोंमें मिलने वाले परियार के बच्चों का जि. शुल्क जित्या जायेगा तथा उनसे दूसरा शुल्क अध्यया पिसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की ओर से अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, विछड़ा वर्ग, अव्याप्तिकारक, विकलांग विलिंगए तथा सामाजिक श्रेणी के परियार जिनकी आय 2,00,000/- लाख रुपये कम होगा जो रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नरसी/बी० जी० अध्यया प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रोत्साहनी/साझालकार (बच्चों एवं माला/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन नियमित अपता से अधिक हो तो युले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नरसी/बी० जी० अध्यया प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रदेश लेने-गाहे बच्चों का विद्यालय से आयास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर तक रुक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का ८० प्रतिशत राशि बायर सीटाने की व्यवस्था होगी।

8. यदि कि विद्यालय का नियोजन विभागीय प्रशासिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जीव कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके नियमित ग्राहकों के आधार पर साधारित है।

9. याथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के हारा अपनी सहभाति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुसारण किया जा रहा है। रकूल को यह इसी रासायनिक करनी होगी तथा इसका उत्तरोत्तर प्राविष्टिकरण एवं वेवराईट में करना होगा। शर्तों को उत्तरात्मक की विभाति में अनापसि प्रभाग-पत्र यापन से लिया जायेगा तथा सम्बन्ध रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-४८, दिनांक 18.01.2008 हारा शिक्षक/मास्टर जै. शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने रुपयी आदेशों का विद्यालयों हारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विद्यार शरकार के लिया किया अध्यया व्यावस्था विभाग के नियमीय प्रशासिकारी के द्वारा नियोजन हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. साप्रतीपत बच्चों के जालीकरण तथा वर्गित शर्तों के आधार पर बी० ए० भी० पश्चिम रकूल, दयानंद नगर, महेश्वरांगूठ, लगड़िया को बी० ए० ए० ई० नई दिल्ली से सम्बद्ध हेतु अनापसि प्रभाग-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- विभाग शिक्षा प्रशासिकारी लगड़िया का जीव प्रतिवेदन संलग्न।

विद्यालयानन्द

८०/-

(दशरथ राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दायांक 1082

दिनांक 30/11/11

प्रतिलिपि : विभाग शिक्षा प्रशासिकारी लगड़िया को उनके पत्रांक १३१६ दिनांक 30.09.2011 के प्रत्यंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

दायांक

1082

दिनांक

30/11/11

प्रतिलिपि : दशरथ, बी० ए० भी० पश्चिम रकूल, दयानंद नगर, महेश्वरांगूठ, लगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

८०/-

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

27.6.2011